को सम्बोधित किया जावे
किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सन्दर्भ यदि हो
तो देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही सम्भव नहीं होगी।

दूरभाष 2527532
तार यूनिवर्सिटी
फैक्स 731-2529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर-452001

//शुध्दि पत्र//

विश्वविद्यालय द्वारा किराये से वाहन प्रतिमाह, प्रति किलो मीटर, प्रतिदिन के आधार पर लेने हेतु निविदा क्रमांक No/vahan/Tender/2025-26 Tender ID 2025_DAVV_428740_1 आमंत्रित की गई थी। निविदा की शर्तो में त्रुटि होने से शर्तो में संशोधन किया गया है एवं साथ ही निविदा की अंतिम तिथि को 07 दिवस के लिये बड़ाई जाती है।निविदा का विस्तृत विवरण देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की वेब साईड पर भी देखा जा सकता है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

क्रमांक/वाहन/निविदा/2025-26/   दिनांकः

वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निविदा – विज्ञप्ति 2025-26

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर में कार्यादेश दिनांक से एक वर्ष हेतु विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ, मूल्यांकन एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों हेतु समय-समय पर आवश्यकतानुसार वाहन, प्रति किलो मीटर/प्रतिदिन एवं मासिक आधार पर किराए पर लिये जाने हेतु ऑनलाईन निविदा 02 बिड सिस्टम (वित्तीय एवं तकनीकी बिड) के आधार पर mptenders.gov.in के माध्यम से अधिकृत एवं प्रतिष्ठित फर्मो से आमंत्रित की जाती है:-

निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 2000/- तथा सुरक्षा निधि रू. 1,20,000/-- है।
निविदा प्रस्तुत करने एवं खोलने संबंधित विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	दिनांक
1	निविदा प्रपत्र क्रय करने की आरंभिक तिथि	06.06.25
2	निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि	07.07.25
3	निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	07.07.25

निविदा पत्र का सत्यापन दिनांक 08.07.25 को भण्डार प्रभारी के कार्यालय में अपरान्हः 03:00 बजे उपस्थित निविदाकारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष निर्धारित समिति के द्वारा किया जावेगा। निविदा प्रपत्र से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं शर्तें वेबसाईट www.mptenders.gov.in, एवं www.dauniv.ac.in तथा शासकीय कार्य दिवसों (कार्यालयीन समयावधि) में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, आर.एन.टी; मार्ग, इंदौर के वाहन शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

निविदा के संबंध में दूरभाष क्रंमाक 0731-2525825 , 0731-2528966 एवं e-mail ID: registrar.davv@mp.gov.in पर भी संपर्क किया जा सकता है।

नोटः- निविदा में किसी भी प्रकार संशोधन समाचार के माध्यम से नहीं किया जावेगा। यह केवल वि.वि. की वेबसाईट www.dauniv.ac.in पर ही प्रकाशित किया जावेगा।

कुलसचिव

निविदा की शर्तें

भाग-1 कार्यात्मक एवं तकनीकी विवरण

1. कार्यात्मक आवश्यकताएं :-

- कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा एक (01) वर्ष के लिये मासिक, दैनिक एवं प्रति किलोमीटर आधार पर आवश्यक्तानुसार किराये के 10 वाहन उपलब्ध कराने हेतु ई-टैंडरिंग प्रणाली से निविदा आमंत्रित की जाती है।
- एक (01) वर्ष पश्चात आपसी सहमति से निविदा अनुबंध की अवधि 01 वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकेगी।
- अनुबंध अवधि के दौरान आवश्यकता अनुसार वाहनों की संख्या में कमी या बढ़ोत्री की जा सकती है तदानुसार अनुबंधकर्ता को अनुबंध की शर्तों तथा दरों के अनुरूप ही वाहन उपलब्ध कराने होंगे।
- अनुबंध संपादित होने के उपरांत अनुबंधित संस्था द्वारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर को उपलब्ध कराये गये वाहन किसी अन्य को किराये पर उपलब्ध नहीं कराये जावेगें।
- वाहन की दर 1000 किमी (ईंधन एवं वाहन चालक सहित) मासिक रनिंग के आधार पर दी जावे। इसके अलावा पृथक से दैनिक किराया/मुख्यालय से बाहर दौरे पर जाने हेतु भी दर संलग्न प्रपत्र में दी दी जावे।
- दैनिक आधार हेतु वाहन की दर न्यूनतम 250 कि.मी. (ईंधन एवं वाहन चालक सहित) रनिंग के आधार पर दी जावेगी।
- निविदा में ट्रेवल एजेंसी या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है।

2. तकनीकी आवश्यकताएं :-

निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले समस्त निविदाकार को निम्नांकित शर्तों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है, अन्यथा की स्थिति में प्रस्ताव अमान्य कर दिया जावेगा:-

- **निविदा प्रतिभूति राशि रू. 1,20,000/- ऑनलाईन जमा करने की पुष्टि हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना होगा। यह राशि ऑनलाईन** www.mptenders.gov.in **के माध्यम से जमा होगी।**

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर

:ई-निविदा आमंत्रण सूचनाः

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर कार्यालय हेतु मासिक / दैनिक/प्रति किलोमीटर की दर पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने हेतु अनुबंध दिनांक से 01 वर्ष की अवधि के लिये ई-निविदा के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जाती है।

- निविदा प्रपत्र राशि रु 2000/-(राशि रू.दो हजार मात्र) का ऑनलाईन भुगतान कर दिनांक 06.06.25 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 07.07.25 को सायं 06.00 बजे तक www.mptenders.gov.in के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदाएं दिनांक 07.07.25 को सायं 6.00 बजे तक ऑनलाईन जमा की जा सकेगी।

- निविदा हेतु सभी अनिवार्य संलग्न प्रपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि तथा निविदा प्रतिभूति राशि को ऑनलाईन जमा करने के उपरांत उसकी छायाप्रति दिनांक 07.07.25 को सायं 6.00 बजे तक देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के कुलसचिव कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे। अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त होने / खोलने हेतु निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित हो जाता है या अन्य किसी कारणवश निविदा नहीं खोली जाती है तो निविदा खोलने की कार्यवाही अगले कार्य दिवस में पूर्ण की जायेगी।
- देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर को किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अमान्य करने का अधिकार होगा।

कुलसचिव

- शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकीय निगम या संस्था के साथ कम से कम 03 वर्ष का कार्य अनुभव (इस हेतु दैनिक आधार पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने संबंधी) शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकीय निगम संस्था द्वारा जारी प्रमाणपत्र।
- निविदाकार द्वारा आयकर के स्थायी लेखा संख्या (पेन कार्ड) की वैध प्रति प्रस्तुत की जाना होगी।
- निविदाकर्ता प्रपत्र क्रमाक 01 मै वर्णित संस्थान का विवरण स्पष्ट अक्षरों मे भरकर अपलोड करें।
- निविदाकर्ता अपना स्थायी खाता क्रमांक (PAN), GSTIN Registration की सत्यापित छायाप्रति अपलोड करें ।
- निविदाकर्ता का आयकर विभाग मे पंजीयन होना अनिवार्य है। विगत चार वर्ष (2021-22, 2022-23, 2023-24 तथा 2024-25) मे से किन्ही तीन वर्षों मे संस्था का टर्नओवर रूपये 30.00 लाख या उससे अधिक होना का आयकर विवरणी की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।
- संस्था का प्रतिवर्ष न्यूनतम टर्न ओवर 30.00 लाख रु. होना आवश्यक है। इस हेतु चार्टड एकाउण्टेट द्वारा तैयार की गई गत चार वर्ष (2021-22, 2022-23, 2023-24 तथा 2024-25) मे से किन्ही तीन वर्षों मे संस्था का टर्नओवर रूपये 30.00 लाख या उससे अधिक होना आवश्यक है। इस हेतु ऑडिट की हुई सम्पूर्ण रिपोर्ट की प्रति अपलोड करें।
- निविदाकर्ता फर्म के पास कम से कम 05 वाहन टैक्सी परमिट के रूप मे पंजीकृत होना चाहिए। इस आशय का खुद का प्रमाण-पत्र या अधिकृत पत्र एवं उसक विवरण संलग्न प्रपत्र क्रमांक 02 मे स्पष्ट अक्षरों मे भरकर अपलोड करें।
- वाहनो का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय मे टैक्सी परमिट मे रूप मे पंजीयन होने संबंधी आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
- निविदाकार के वैध बैंक खातों के ब्यौरे।

भाग-2 अन्य सामान्य शर्ते

1. किराये पर दिये जाने वाले वाहन का मॉडल वर्ष 2022 से पुराना नहीं होना चाहिए। टवेरा वाहन के संबंध मे इस शर्त मे छूट रहेगी।
2. किराये पर दिये जाने वाले समस्त वाहन पर Fastag लगा होना अनिवार्य है।
3. किराये की अवधि मे वाहन मे ईंधन प्रदाय की जिम्मेदारी वाहन प्रदायकर्ता की होगी एवं वाहन के संधारण पर होने वाली टूट-फूट, बैट्री, टायर-ट्यूब आदि के व्यय की संपूर्ण जिम्मेदारी भी वाहन प्रदाता की होगी।

4. किराये पर दिये जाने वाले वाहन में आपात स्थिति से निपटने हेतु आवश्यक अतिरिक्त कल-पुर्जे (Spare Parts) यथा फैन बेल्ट, स्टेपनी-व्हील, बल्ब, फयूजेज, जैक, स्टैन्डर्ड, टूल्स, फर्स्ट एड बॉक्स आदि सदैव उपलब्ध रखना होगा।

5. वाहन प्रदाता द्वारा वाहन चालक के माध्यम से वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन, समस्त करों की भुगतान रसीदें, व्यवसायिक उपयोग हेतु अनुमति पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, आधार कार्ड एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज की एक प्रति वाहन शाखा में एवं एक प्रति हमेशा वाहन में रखना आवश्यक होगा।

6. वाहन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा एवं यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता की होगी। विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नही रहेगी।

7. वाहन प्रदाता को मांग अनुसार वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा। मांग अनुसार वाहन 06 घंटे के अंदर उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उसके द्वारा जमा कराई गई निष्पादन प्रतिभूति राशि कार्यालय द्वारा जब्त की जा सकेगी और आने वाले 01 वर्ष के लिये वाहन की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

8. माईलोमीटर की गड़बड़ी अथवा अन्य किसी कारण से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शाये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा सड़क मार्ग को निर्धारित दूरी मान्य की जावेगी।

9. प्रपत्र-बी में उल्लेखित 12X7 के मासिक रूप से वाहन उपलब्धता में वाहन प्रदायकर्ता को समस्त शासकीय नियमों का पालन करते हुए आवश्यक वाहन चालकों को संलग्न करना होगा। वाहन चालक की कर्तव्य अनुपस्थिति पर वैकल्पिक वाहन चालक भेजना आवश्यक होगा। सफल अनुबंधकर्ता द्वारा लगाये गये वाहन चालक के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व:-

   a) यात्रा वाहन चालक अनुभवी एवं शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिये। वाहन चालक की eyesight तथा reflexes उत्तम होना चाहिये।

   b) वाहन चालक के पास नियमानुसार वाहन चलाने का वैध व्यवसायिक ड्रायविंग लायसेंस एवं आधार नंबर होना अनिवार्य हैं

   c) वाहन चालक का वेतन भत्ता एवं अन्य खर्च जिसमें वाहन चालक का दैनिक एवं अन्य यात्रा भत्ता भी शामिल है, वाहन प्रदायकर्ता स्वयं वहन करेगा। यह कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों से कम नहीं होगा। वाहन चालक हेतु अन्य वैधानिक पंजीयन कराना वाहन स्वामी के लिये अनिवार्य होगा।

   d) वाहन चालक ड्यूटी के समय पान, बीड़ी-सिगरेट, शराब एवं तंबाकू का सेवन नहीं करेगा।

   e) वाहन चालक वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेगा।

f) वाहन चालक को सड़क यातायात नियम/निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। सड़क यातायात नियमों को तोड़ने की स्थिति में होने वाले आर्थिक दंड एवं अनुशासनात्मक कार्यवाहियों का वहन अनुबंधकर्ता को ही किया जाना होगा।

g) वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी या वाहन प्रभारी से प्रतिदिन माइलोमीटर रीडिंग के अनुसार की गई यात्रा का प्रमाणीकरण लॉग-बुक में कराना होगा। प्रमाणित लॉग-बुक की प्रतिलिपि देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

h) विश्वविद्यालय की आवश्यकता अनुसार वाहन चालक को वाहन समयावधि से अधिक एवं जिले से बाहर भी चलाना पड़ सकता है। मांग किये जाने के एक घंटे के अंदर वाहन निर्धारित स्थान पर पहुंचाना होगा।

i) निविदाकर्ता को समस्त संवैधानिक बंधनों यथा अनुबंध, श्रम अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा कर अधिनियम, Minimum wages Act एवं अन्य प्रभावशील अधिनियम जो अनुबंध के समय प्रचलित हैं तथा जो भविष्य में प्रभावशील होगें उनका अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

j) वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में अनुबंधकर्ता या वाहन चालक द्वारा दुर्घटना के संबंध में वाहन शाखा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर को तत्काल अवगत कराया जावेगा।

10. अनुबंधकर्ता अपनी जोखिम पर वाहनों का प्रचालन करेगा। वाहनों के प्रचालन करते हुये वाहन या व्यक्ति के साथ होने वाली घटना/दुघर्टना के लिये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर जिम्मेदार नही होगा ।

11. निविदा स्वीकार करने व अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर का ही होगा। यह निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

12. सफल निविदाकर्ता एल-1 के द्वारा वित्तीय बिड में उल्लेखित वाहनों में से आवश्यकतानुसार किसी भी वाहन की मांग मासिक या दैनिक आधार या प्रति किलोमीटर के आधार पर कार्यालय द्वारा किये जाने पर उस वाहन को उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई जाती है तो ऐसी स्थिति में उक्त वाहन को कार्यालय अन्य संस्थाओं से किराये पर लेने हेतु स्वतंत्र होगा।

13. **वाहन आवश्यकता / मांग के अनुसार बैठक /कार्यशाला/प्रश्न-पत्र एवं उत्तर पुस्तिका परिवहन कार्य हेतु समय-समय पर किराये पर दैनिक आधार पर पर लिये जा सकते है। वाहन आवश्यकतानुसार इंदौर से बाहर भी प्रदेश में सभी स्थानों पर भेजे जा सकेंगे।**

14. उन्हीं निविदाकारों की निविदायें मान्य की जायेगी, जो इंदौर में किराये वाहनों का व्यवसाय करते हों एवं जिनका संचालन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर में होगा। वाहनों को किराये पर मुख्यतः प्रति किलोमीटर एवं दैनिक आधार तथा मासिक आधार पर लिया जावेगा।
15. निविदायें प्रति किलोमीटर, प्रतिदिन (न्यूनतम 250 कि.मी. रनिंग) मासिक आधार पर समस्त व्यय एवं प्रचलित सभी आवश्यक करो सहित वाहन किराये की दरें एवं दैनिक आधार प्रति कि.मी. के अनुसार दरें आमंत्रित की जा रही है। उक्त बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी प्रपत्र 1,2,3 एवं 4 के रूप में संलग्न है। निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र के प्रत्येक कॉलम की पूर्ति अनिवार्य रूप से की जावे, अन्यथा आपकी निविदा पर विचार नहीं होगा। जो वाहन मासिक रूप से किराये पर अनुबंधित होकर आवंटित होंगे, उन आवंटित वाहनों का उपयोग मुख्यालय से बाहर भी शासकीय कार्य हेतु किया जावेगा।
16. मान्य दरें आगामी 01 वर्ष के लिये लागू रहेंगी। 01 वर्ष पश्चात आपसी सहमति से निविदा अनुबंध की अवधि 01 वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकेगी।
17. नियमों के अनुसार टी.डी.एस. एवं जी.एस.टी. की कटौत्री भुगतान के समय की जावेगी।
18. पृथक-पृथक मोडल के वाहन हेतु पृथक-पृथक दर निविदा में निर्धारित प्रपत्र में दी जावे।

भाग 3 :- वितीय विनिर्देश

1. निविदा प्रक्रिया :-

निविदा प्रपत्र का मूल्य, निविदा फार्म, शर्तें एवं प्रपत्र की प्रति म.प्र. ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट www.mptenders.gov.in एवं www.dauniv.ac.in से दिनांक 06.06.25 को दोपहर 12.00 बजे से **दिनांक 07.07.25 तक समय** शाम 6.00 बजे तक डाउनलोड कर जमा किये जा सकते हैं। निविदा **दस्तावेज शुल्क रू. 2000/- रूपये** ई-भुगतान के रूप में म.प्र. ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल **www.mptenders.gov.in में जमा करना** आवश्यक है।

1.1 निविदा दस्तावेज निविदाकार को निविदा 02 लिफाफे 'अ' और 'ब' में प्रस्तुत करनी होगी।

लिफाफे 'अ' में निम्नानुसार अभिलेख / प्रपत्र रहेंगे:-

1. **प्रपत्र अ-1 सूचना पत्र**
2. **प्रपत्र अ-2 घोषणा पत्र**
3. **प्रपत्र अ-3 निविदा प्रतिभूति** राशि जमा की रसीद
4. **प्रपत्र अ-4 निविदा की शर्तें** एवं नियम से सहमति पत्र
5. **प्रपत्र अ-5 निविदाकार द्वारा** तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी
6. तकनीकी निविदा- प्रपत्र 01, प्रपत्र 02

लिफाफा 'अ' अंतर्गत जिन दस्तावेजों को स्केन करके ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है, उन दस्तावेजों की सत्यापित छाया प्रतियां एवं निविदा प्रतिभूति राशि ऑनलाईन जमा करने की पावती कार्यालय कुलसचिव देवी अहिल्या विश्वविघालय आर एन टी मार्ग इंदौर में जमा करना होगा। तकनीकी बिड खोले जाते समय संस्था या प्रतिनिधि मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों, ताकि मूल दस्तावेजों का मिलान करते हुऐ सत्यापन किया जा सके।

लिफाफे 'ब' वित्तीय बिडः- निविदा हेतु वित्तीय बिड
में निम्नानुसार अभिलेख / प्रपत्र रहेंगे:-
1. प्रपत्र- ब-1 अंतर्गत मासिक आधार पर दरें।
2. प्रपत्र- ब-2 अंतर्गत दैनिक आधार पर दरें।

निविदाकार को निविदा से संबंधित अभिलेख ऑनलाईन जमा करना होगा साथ ही लिफाफा 'अ' और 'ब' अंतर्गत चाहे गये दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति कुलसचिव देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,आर.एन.टी. मार्ग, इंदौर के नाम से कुलसचिव कार्यालय में रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट से या स्वंय जमा करने होंगे।

1.2 निविदा प्रक्रिया का निरसन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर को बिना कोई कारण बताए निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा। निरसन की स्थिति में निविदा प्रपत्रों की राशि वापिस नहीं की जायेगी।

1.3. निविदाओं का मूल्यांकन ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल www.mptenders.gov.in के माध्यम से प्राप्त निविदा की तकनीकी बिड प्रपत्र 1, 2, 3 एवं 4 में संलग्न दस्तावेजों का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर में गठित समिति द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा एवं अर्हताएं पूरी न करने वाले निविदाकारों के प्रस्ताव निरस्त करने की अनुशंसा की जायेगी तथा तकनीकी रूप से वैध निविदाकारों की वित्तीय बिड ऑनलाईन खोलने हेतु, कार्यवाही की जायेगी। अतः निविदाकारों को चाहिये कि जानकारी प्राप्त करने हेतु निविदा में अपनी संस्था का ई-मेल पता आवश्यक रूप से अंकित करें।

2. निविदाकारों की अर्हतायेः-

2.1 तकनीकी प्रस्ताव -

ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल www.mptenders.gov.in के माध्यम से प्रस्तुत निविदा में तकनीकी बिड के अंतर्गत निम्नानुसार दस्तावेंजो को स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा-

(प्रपत्र-अ-5)

2.2 निविदाकर्ता को परिचय व विवरण उद्घोषित करना होगा। स्वामित्व/भागीदारी / कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो। निविदाकार के एकल स्वामित्व की स्थिति में म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति (भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत (पार्टनरशिप डीड के साथ) एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी एक्ट)।

2.3 वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी परमिट के रूप में पंजीयन होने संबंधी आवश्यक प्रमाणपत्र।

2.4 निविदाकार के पास 05 वाहनों के स्वामित्व के दस्तावेजों की छायाप्रति ।

2.5 निविदाकर्ता संस्था का चार्टड एकाउन्टेट से सत्यापित विगत चार वर्ष (2021-22, 2022-23, 2023-24 तथा 2024-25) मे से किन्ही तीन वर्षों में संस्था का टर्नओवर रूपये 30.00 लाख या उससे अधिक होने का प्रमाण पत्र।

2.6 निविदाकर्ता को आयकर क्लीयरेन्स प्रमाण पत्र तीन वर्ष का आयकर विवरणी ।

2.7 निविदा प्रतिभूति राशि 1,20,000/- ऑनलाईन जमा करने की पुष्टि हेतु दस्तावेज ।

2.8 शासकीय/अर्द्धशासकीय/ निगम संस्था के साथ कम से कम 03 वर्ष का कार्य अनुभव (इस हेतु मासिक एवं दैनिक आधार पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने संबंधी) शासकीय/अर्द्धशासकीय/ निगम संस्था द्वारा जारी प्रमाणपत्र।

2.9 निविदाकार को आयकर के स्थायी लेखा संख्या (PAN CARD) की वैध प्रति प्रस्तुत की जाना होगी।

2.10 निविदाकार का वस्तु एवं सेवा कर प्रदाता के रूप में पंजीकरण आवश्यक है। इस हेतु Goods & Service Tax हेतु पंजीयन की प्रति प्रस्तुत की जाना होगी।

2.11 निविदाकार के वैध बैंक खातों के ब्यौरे।

2.12 हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा निविदाकर्ता को निविदा की शर्तों एवं संलग्न समस्त प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर नाम एवं हस्ताक्षर कर रबर स्टेम्प लगाना अनिवार्य होगा।

2.13 निविदा **प्रस्ताव के वैधता की अवधि अनुबंध की** अवधि 01 वर्ष के लिये होगी। 01 वर्ष पश्चात यदि सेवाएँ सफलतापूर्वक कार्य अनुरूप निष्पादित पाई जाती है तो अनुबंध की अवधि **दोनो पक्षो की आपसी सहमति से 01 वर्ष के लिये बढ़ाई** जा सकेगी।

2.14 **दरों का उल्लेख केवल वितीय प्रस्ताव में निर्धारित स्थान** पर होना चाहिये। (दरों की प्रविष्टि **ऑनलाईन की जाये)**

2.15 अनर्हताएं- **निविदा प्रपत्रों में उल्लेखित किसी भी शर्त** को पूर्ण न करने पर निविदाकार **स्वतः अपात्र माना जायेगा।**

2.16 शर्तों की बाध्यता की संतुष्टि जिस निविदाकर्ता के पक्ष में निविदा स्वीकृत होगी उसके संबंध में यह भी माना जायेगा कि उसने उक्त सभी शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ ली है। वे सभी शर्तें उसे स्वीकार है तथा उन्हीं शर्तों के अंतर्गत उसने निविदा प्रस्तुत की है।

3. अनुबंध का निष्पादन -

3.1 अनुबंध का नोटीफिकेशन:- निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकर्ता को स्वयं के खर्च पर निर्धारित शुल्क के (रुपये 1000/) गैर-न्यायिक स्टाम्प पर अनुबंध निविदा स्वीकृति से 07 दिवस के अंदर करना होगा। निविदाकर्ता के द्वारा दी गई कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।

3.2 अनुबंध में हस्ताक्षर- दोनो पक्षों के हस्ताक्षर एवं गवाहों के हस्ताक्षर के उपरान्त ही अनुबंध पूर्ण माना जाएगा।

3.3 बैंक गारंटी :-

1. सफल निविदाकार की निविदा प्रतिभूति राशि, जो ऑनलाईन जमा की गई है, जो निष्पादन प्रतिभूति राशि का FDR प्राप्त होने पर वापस कर दी जायेगी।
2. अनुबंधकर्ता निविदाकार को निष्पादन प्रतिभूति राशि रु. (सफल निविदाकार हेतु) 1,20,000/- धनराशि का FDR जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से तैयार कर कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के नाम बैंक गारंटी के रूप में जमा कराना होगा। जो अनुबंध की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर वापस कर दी जायेगी।
3. निविदा स्वीकृति आदेश से 01 वर्ष के लिये यह व्यवस्था होगी, यदि संस्था/एजेंसी निविदा शर्तों के अनुरूप कार्य संपादित करने में असफल होती है या समय पूर्व अनुबंध तोड़ देती है तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जमा निष्पादन प्रतिभूति राशि रु (सफल निविदाकार हेतु) 1,20,000/- को आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर लिया जाएगा।
4. **स्वीकृत एजेंसी द्वारा सेवायें उपलब्ध न कराये जाने की** स्थिति में स्वीकृत निविदा दरों एवं **शर्तों पर कार्यालय अन्य एजेंसी से सेवाये लेने हेतु** स्वतंत्र रहेगा।
5. **यदि सफल निविदाकार अपने निविदा प्रस्ताव को** निविदा कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात **वापस ले लेता है अथवा अनुबंध का पालन करने से** इंकार कर देता है तो निविदा प्रतिभूति **राशि को राजसात किया जा सकता है।**
6. **असफल निविदाकारों की निविदा प्रतिभूति राशि को** अन्य निविदा स्वीकार करने के उपरान्त **वापस कर दिया जायेगा।**

4. सेवाएं एवं वारंटी :- कार्य स्थल पर निविदाकर्ता तथा उसके कर्मचारी शराब या अन्य मादक **वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे तथा उनका व्यवहार जनता** एवं कर्मचारियों के प्रति सौम्य एवं **नम्रतापूर्वक होना चाहिये। शिकायत प्राप्त होने पर अनुबंधकर्ता के विरुद्ध** आर्थिक दंड, संबंधित

कर्मी को हटाना या गंभीर प्रकरण में अनुबंध समाप्त करने संबंधी पूर्ण अधिकार कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर को होगा।

5. कार्यालय में मासिक दर पर लगाये गये वाहन के निरीक्षण / आकलन के दौरान वाहन ठीक हालत में न पाए जाने पर प्रति कार्य दिवस के मान से मासिक देयक से अधिकतम 05 प्रतिशत की राशि कटौत्रे के रूप में काटी जा सकेगी एवं शिकायत की तीन से अधिक बार पुनरावृत्ति होने पर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
6. अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन निविदाकर्ता के कर्मियों का व्यवहार संतोषप्रद न होने पर या शिकायत प्राप्त होने पर अथवा किसी भी प्रकार की शर्तों का उल्लंघन करने पर निविदाकर्ता के विरुद्ध आर्थिक दंड, संबंधित कर्मी को हटाने एवं गंभीर प्रकरण में अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी, इसका पूर्ण अधिकार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर को होगा।
7. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर कार्यालय परिसर में सफल निविदाकर्ता के अनुबंधित वाहनों की अवकाश वाले दिवस एवं रात्रि में पार्किंग नहीं की जा सकेगी।
8. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर हेतु दैनिक दर एवं प्रति कि.मी. पर वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु अनुबंध में जो दरें अनुमोदित होगी, उन दरों पर अन्य अधिकृत ट्रेवल एजेंसी से आपवादिक परिस्थिति में किराये पर वाहन लिये जाने हेतु सफल निविदाकर्ता को लिखित में सहमति देनी होगी।
9. भुगतान - अनुबंधकर्ता द्वारा माह की समाप्ति के उपरांत आगामी माह की 05 तारीख तक किराये पर लिये गये वाहनों की संख्या के मान से वाहन उपयोगकर्ता के द्वारा देयक एवं लॉग-बुक प्रमाणित करा कर देयक प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यालय द्वारा परीक्षण उपरांत इन देयकों का भुगतान अनुबंधकर्ता के बैंक खाता में किया जायेगा।
10. विवाद का निराकरण किसी भी विवाद एवं शर्तों की अवहेलना अथवा अवचार या कदाचरण की स्थिति में निविदा निरस्त करने संबंधी समस्त अधिकार कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के पास सर्वथा सुरक्षित रहेगा। प्रकरण में न्यायालयीन परिस्थितियों उद्भूत होने पर प्रकरण इंदौर स्थित न्यायालय में ही चल सकेगा।

कुलसचिव

प्रपत्र-अ-1

//सूचना पत्र//

प्रति,

कुलसचिव महोदय,

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)

विषय - देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर कार्यालय हेतु प्रति कि.मी. आधार पर/ किराये के आधार पर प्रतिदिन आधार/ मासिक वाहन उपलब्ध कराने हेतु निविदा के संबंध में।

महोदय,

दैनिक समाचार पत्र........ में प्रकाशन के द्वारा ज्ञात हुआ है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के कार्यालय पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने हेतु ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल www.mptenders.gov.in के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई है। इस हेतु मेरे द्वारा निविदा से संबंधित निम्न प्रपत्र हस्ताक्षर कर आपके कार्यालय में जमा किये जा रहे हैः-

1. आयकर के स्थायी लेखा संख्या (PAN CARD) की वैध प्रति।
2. निविदाकार के एकल स्वामित्व की स्थिति में म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति (भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत (पार्टनरशिप डीड के साथ) एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी एक्ट)।
3. निविदाकार के पास 05 वाहनों का स्वामित्व के दस्तावेजों की छायाप्रति ।
4. चार्टड एकाउन्टेट से सत्यापित विगत चार वर्ष(2021-22, 2022-23, 2023-24 तथा 2024-25) मे से किन्ही तीन वर्षो में संस्था का टर्नओवर रूपये 30.00 लाख या उससे अधिक होने का प्रमाण पत्र।
5. शासकीय/अर्द्धशासकीय / निगम संस्था के साथ कम से कम 03 वर्ष का कार्य अनुभव (इस हेतु मासिक एवं दैनिक आधार पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने संबंधी) प्रमाणपत्र।
6. वस्तु एवं सेवाकर प्रदाता के रूप में पंजीकरण की प्रति।
7. वैध बैंक खाते के ब्यौरे।
8. आयकर विवरणी विगत चार वर्ष (2021-22, 2022-23, 2023-24 तथा 2024-25) मे से किन्ही तीन वर्षो जिसमें वार्षिक टर्नओवर रूपये 30.00 लाख से अधिक की सत्यापित प्रति ।

दिनांक .... हस्ताक्षर ....

स्थान .... फर्म का नाम...............................

ई-मेल ....

प्रपत्र-अ-2

// घोषणा पत्र //

(लिफाफा 'अ' में प्रस्तुत किया जाए)

(रूपये 100/- के स्टॅम्प पेपर पर)

1. मैं/हम नाम/फर्म का नाम.. भारत का/के नागरिक हूं/ हैं। (आगामी बिंदुओं में मैं / हम अधोहस्ताक्षरी निविदाकर्ता के लिये प्रयुक्त होगा)।
2. मैं / हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार संविदा के लिये सक्षम हूं/है।
3. मुझे/हमें मासिक एवं दैनिक दर तथा प्रति किलोमीटर दर पर वाहन उपलब्ध कराने के कार्यों के लिये म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मैं/हम किसी ऐसे ठेकेदार जो कि, म.प्र. शासन के किसी भी विभाग/संस्था/निगम द्वारा बहिष्कृत नही किया गया है।
5. मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त वाहन एवं चालकों के कार्य की गुणवत्ता ठीक न पाए जाने पर उससे जो नुकसान होगा उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी स्वयं की होगी।
6. मेरे/हमारे द्वारा विभाग की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत नहीं की गई है। यदि अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य किया जावे।
7. मैं/ हम श्रम कानूनों एवं बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करूंगा / करेंगे।

दिनांक ....

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम ....

पूरा पता ....

....

फोन एवं मो.नं. ....

ई-मेल ....

प्रपत्र-अ-3

// निविदा प्रतिभूति राशि //

(लिफाफा- 'अ' में प्रस्तुत किया जाए)

कार्यालय का नामः कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर कार्यालय हेतु मासिक/दैनिक दर/प्रति प्रति कि.मी. आधार पर किराये के वाहन उपलब्ध हेतु निविदा के संबंध में।

निविदा प्रतिभूति राशि का विवरण दर्ज कर संबंधित मूल दस्तावेज के साथ प्रथम लिफाफे में निविदा प्रतिभूति राशि की ऑनलाईन जमा करने की पुष्टि हेतु सत्यप्रमाणित जमा की रसीद का विवरणः-

क्रमांक	ऑनलाईन जमा रसीद क्र.	राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम एवं शाखा	राशि	जारी होने का दिनांक	वैधता दिनांक

कार्यालय का नामः-...

निविदा क्रमांक एवं दिनांकः-...

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम ....

पूरा पता ....

....

फोन एवं मो.नं. ....

ई-मेल ....

प्रपत्र-अ-4

// निविदा की शर्त एवं नियम से सहमति पत्र //

(लिफाफा- 'अ' में प्रस्तुत किया जाए)

// सहमति पत्र //

मैं..पुत्र.. फर्म .... वास्ते ....आपके कार्यालय द्वारा विज्ञापित निविदा में भाग लेना चाहता हूं। मेरे द्वारा ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल www.mptenders.gov.in के माध्यस से जारी निविदा की शर्तों के अंतर्गत भाग 01 एवं 02 में वर्णित कंडिका क्र. 01 से 18 तक की कंडिकाओं एवं उनके अंतर्निहित समस्त उपकंडिकाओं का अध्ययन कर लिया है तथा मैं उनसे सहमत हूं (निविदा की शर्तों एवं संलग्न समस्त प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर नाम एवं हस्ताक्षर कर रबर स्टेम्प लगाकर प्रस्तुत) एवं यदि मेरी निविदा मान्य की जाती है तो कार्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर अनुबंध हेतु सहमत हूं।

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम ....

पूरा पता ....

....

प्रपत्र- अ-5

// निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी //

(लिफाफा 'अ' एवं 'बी' में प्रस्तुत किया जाए)

निविदाकार का नाम :-

क्र	तकनीकी मापदण्ड	रिमार्क
1.	निविदा प्रतिभूति राशि 120,000/- को ऑनलाईन जमा किये छायाप्रति सलग्न करें।	
2.	आयकर के स्थायी लेखा संख्या (PAN CARD) की प्रति।	
3.	नगर निगम द्वारा जारी गुमाश्ता लायसेंस की प्रति।	
4.	वस्तु एवं सेवाकर प्रदाता हेतु पंजीयन की प्रति।	
5.	वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में टेक्सी परमिट के रूप में पंजीयन होने संबंधी आवश्यक प्रमाणपत्र।	
6.	चार्टड एकाउन्टेट से सत्यापित विगत चार वर्ष (2021-22, 2022-23, 2023-24 तथा 2024-25) मे से किन्ही तीन वर्षों जिसमें वार्षिक टर्नओवर रूपये 30.00 लाख से अधिक होने का प्रमाण पत्र।	
7.	शासकीय/अर्द्धशासकीय/ निगम संस्था के साथ कम से कम 03 वर्ष का कार्य अनुभव (इस हेतु मासिक एवं दैनिक आधार पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने संबंधी) शासकीय संस्था द्वारा जारी प्रमाणपत्र।	
8.	निविदाकार के वैध बैंक खाते के ब्यौरे।	
9.	निविदाकार एकल स्वामित्व की स्थिति में म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति (भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत (पार्टनरशिप डीड के साथ) एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी एक्ट)।	
10.	आयकर विवरणी विगत चार वर्ष (2021-22, 2022-23, 2023-24 तथा 2024-25) मे से किन्ही तीन वर्षों जिसमें वार्षिक टर्नओवर रूपये 30.00 लाख से अधिक होने का प्रमाण पत्र अथवा नोटरी से सत्यापित घोषणा पत्र।	

नोट- निविदाकर्ता द्वारा अगर कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो उसका अनुबंध निरस्त करने तथा निविदा प्रतिभूति राशि अथवा निष्पादन प्रतिभूति राशि को राजसात करने का पूर्ण अधिकार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर को होगा।

दिनांक ....

निविदाकार का नाम ....

हस्ताक्षर ....

फोन एवं मो.नं. ....

ई-मेल ....

तकनीकी निविदा
प्रपत्र 01

फर्म का विवरण

1 फर्म का नाम...

2 पूर्ण-पता...
....

3 टेलीफोन नं./मो.नं कार्यालय........................ निवास स्थान ....

फैक्स............................ईमेल...............................

4. जी.एस.टी.आई.एन.नं पंजीयन क्रमांक..

5. संस्था का अधिकृत विवरण

नाम...

पता...

....

टेलीफोन नं./मो.नं कार्यालय .... स्थान...................

ईमेल...............................

दिनांक............................

स्थान............................

हस्ताक्षर एवं सील

तकनीकी निविदा

प्रपत्र क्रंमाक 02

निविदा कर्ता फर्म की 05 पंजीकृत वाहनों की जानकारी

फर्म का पुरा नाम एवं पता ....

क्रं	वाहन का नाम	मॉडल	डिजल /पेट्रोल	वाहन का पंजीयन वर्ष	वाहन का पंजीयन क्रंमाक	पंजीयन जारीकर्ता
1						
2						
3						
4						
5						

दिनांक..

स्थान..

हस्ताक्षर एवं सील

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इन्दौर

वाहन किराये पर लेने हेतु वर्ष 2025-26

निविदा क्रंमाक- ब-1

निविदा आवेदन फार्म (प्रतिमाह आधार पर दरे)

संस्था का नाम	
संस्था का सेवा कर जी.एस.टी./पंजीयन क्रमांक	
संस्था/मुखिया का पेन नम्बर	
संस्था का स्थायी पता	
मोबाईल एवं दूरभाष नम्बर	

क्र.	वाहन का नाम	मॉडल का वर्ष	प्रतिमाह 1000 कि.मी. तक किराये की दर(समस्त करों सहित)		प्रतिमाह 1000 कि.मी. अधिक चलने पर प्रति कि.मी. किराये की दर (समस्त करों सहित)	
			A.C.	Non A.C.	A.C.	Non A.C.
1	टाटा जेस्ट	2022 Onwards				
2	टाटा इन्डिगो					
3	टवेरा					
4	इनोवा					
5	स्वीफ्ट डिजायर	2022 Onwards				
6	मारूति अर्टिगा	2022 Onwards				
7	तुफान (टेम्पो)	2022 Onwards				
8	टेम्पो ट्रेवलर	2022 Onwards				
9	इनोवा क्रिस्टा	2022 Onwards				
10	कवर्ड लोडिंग पिकअप/आयशर वाहन	2022 Onwards				

फर्म/प्रोपरायटर का नाम, हस्ताक्षर व सील

वित्तीय निविदा प्रपत्र

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इन्दौर

वाहन किराये पर लेने हेतु वर्ष 2025-26

निविदा क्रंमाक-ब-2

निविदा आवेदन फार्म (प्रति किलोमीटर के आधार पर दरे)

संस्था का नाम	
संस्था का सेवा कर जी.एस.टी./पंजीयन क्रमांक	
संस्था/मुखिया का पेन नम्बर	
संस्था का स्थायी पता	
मोबाईल एवं दूरभाष नम्बर	

क्र.	वाहन का नाम	मॉडल का वर्ष	प्रति किलो मीटर किराये की दर	
			A.C.	Non A.C.
1	टाटा जेस्ट	2022 Onwards		
2	टाटा इन्डिगो			
3	टवेरा			
4	इनोवा			
5	स्वीफ्ट डिजायर	2022 Onwards		
6	मारूति अर्टिगा	2022 Onwards		
7	तुफान (टेम्पो)	2022 Onwards		
8	टेम्पो ट्रेवलर	2022 Onwards		
9	इनोवा क्रिस्टा	2022 Onwards		
10	कवर्ड लोडिंग पिकअप/आयशर वाहन	2022 Onwards		

नोटः- 05 घण्टे के लिये वाहन किराये पर लेने हेतु (पिकअप/ड्राप) न्युनतम 50 किलोमीटर अथवा वास्तविक एवं सम्पूर्ण दिवस हेतु न्यूनतम 250 किलोमीटर की दर भुगतान मान्य होगा।

फर्म/प्रोपरायटर का नाम, हस्ताक्षर व सील